



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली- 110 016

टेलीफोन : 26855532, 26858570 फ़ैक्स : 26514179

फा. 11029-17 / 2010-केविसं (मु0) / (प्रशा-1)

दिनांक : 16-09-2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पदों को पुनः पदनामित करना ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 8 सितंबर 2011 के पत्र संख्या 3-2/2022-यूटी-2 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में निम्नलिखित पदों को तत्काल प्रभाव से पुनः नामित करने के लिए आयुक्त, केविसं के अनुमोदन की जानकारी दी जाती है :

क्रम सं०	विद्यमान पदनाम	नया पदनाम
1.	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	अपर आयुक्त (प्रशासन)
2.	संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)	अपर आयुक्त (शैक्षिक)
3.	उपायुक्त (कार्मिक)	संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)
4.	उपायुक्त (वित्त)	संयुक्त आयुक्त (वित्त)
5.	उपायुक्त (प्रशासन)	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
6.	उपायुक्त (शैक्षिक)	संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
7.	उपायुक्त (प्रशिक्षण)	संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)
8.	सहायक आयुक्त	उपायुक्त
9.	सहायक आयुक्त (प्रशासन)	उपायुक्त (प्रशासन)
10.	सहायक आयुक्त (वित्त)	उपायुक्त (वित्त)
11.	शिक्षा अधिकारी	सहायक आयुक्त
12.	वरिष्ठ लेखा परीक्षा एवं लेखाधिकारी	सहायक आयुक्त (वित्त)
13.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	सहायक आयुक्त (प्रशासन)
14.	लेखापरीक्षा एवं लेखाधिकारी	वित्त अधिकारी
15.	हिंदी अधिकारी	सहायक निदेशक (रा.भा.)
16.	आशुलिपिक ग्रेड- 1 आशुलिपिक ग्रेड- 2	आशुलिपिक ग्रेड- 1
17.	आशुलिपिक ग्रेड- 3	आशुलिपिक ग्रेड- 2

उपयुक्त पदों को पुनः पदनामित करने पर कोई वित्तीय उन्नयन (अप-ग्रेडेसन) नहीं होगा और कोई भी अधिकारी किसी अन्य संगठन में उस पद नाम के संदर्भ द्वारा किसी उच्चतर वेतनमान या ग्रेड-पै, यदि कोई हो, के लिए हकदार नहीं होगा ।

666/AC(ED)
15/12/11

(आ० एम० प्रभाकरन)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)